राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक : 4491 / III / 13 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

20.5.14

यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1891–III/2006 में पारित आदेश दिनांक 26–11–2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों के कम में न्यायालयीन आदेश 26–11–13 का परिशीलन किया गया। आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी के तथ्यों पर भलीभॉति विचार कर न्यायालयीन आदेश दिनांक 26–11–13 पारित किया गया है, जबकि आवेदक के अभिभाषक पुनरावलोकन आवेदन में यह नहीं बता सके कि निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आदेश दिनांक 26–11–13 में ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष भूल अथवा लिपिकीय भूल हुई है, जिसके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य किया जावे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधारों का स्पष्ट दिखाई देना विचार हेतु जरूरी है:–

(अ) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी या ,

(ब) मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या
(स) कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

पुनर्विलोकन चाहे स्वप्रेरणा से किया जाय, चाहे किसी पक्षकार के आवेदन पर, इन तीनों में से एक या अनेक आधारों पर ही किया जा सकता है अन्यथा नहीं, किन्तु आवेदक के अभिभाषक पुनरावलोकन आवेदन में अथवा बहस के दौरान ऐसा कोई समाधानकारक आधार नहीं बता सके कि उपरोक्त तीन आधारों में से एक अथवा उससे अधिक आधार पुनरावलोकन किये जाने हेतु उपलब्ध है।

4/ अतएव पुनरावलोकन आवेदन ठोस आधारों पर आधारित न होने अमान्य किया जाता है । पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य